

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 328/2022

लीलाधर डूडी, निवासी टोंकछीलरी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं पिन कोड 333303, मोनं 9784994222

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील ।

आदेश

दिनांक 19.10.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.09.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 328/2022 पर दिनांक 28.09.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/4835-36 दिनांक 28.09.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आर0टी0आई/2022/1012 दिनांक 10.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की एस0एस0ओ0 आई0 डी0 पोर्टल पर सूचना का अधिकार एप्लीकेशन पर कोई भी आवेदन पत्र नहीं प्रदर्शित कर रहा है। आवेदन नहीं होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदक को जबाब उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। श्रीमान्जी से प्राप्त अपील नं0 328/29022 के सलंगन दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना मान0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ से संबंधित होने के कारण श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 10.10.2022 को भिजवा जा चुका है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि अपील नं0 328/2022 में आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से संबंधित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आर0टी0आई/2022/1012 दिनांक 10.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की एस0एस0ओ0 आई0 डी0 पोर्टल पर सूचना का अधिकार एप्लीकेशन पर कोई भी आवेदन पत्र नहीं प्रदर्शित कर रहा है। आवेदन नहीं होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदक को जबाब उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। श्रीमान्जी से प्राप्त अपील नं0 328/29022 के सलंगन दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना मान0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ से संबंधित होने के कारण श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 10.10.2022 को भिजवा जा चुका है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि अपील नं0 328/2022 में आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से संबंधित नहीं है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 19.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल0एस0कुडी)

जिला कलक्टर, झुंझुनूं